कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 4303/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक जून, 22– 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अंतर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे0 आरक्षित वनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– 1–उप सचिव, उत्तर प्रदेष शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्र संख्या– पी0 38/81–2–2023–800(14)/2023 दिनांक– 20.03.2023
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या–3033/11–सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक–23.03.2023

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक– 20.03.2023 द्वारा मॉगी गयी वाछित प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 4148/रेनुकूट/15–26 दिनांक 12.06.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया है :–

क्र0 सं0	उप सचिव, उत्तर प्रदेष शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्र संख्या– पी0 38/81–2–2023–800(14)/2023 दिनांक– 20.03.2023 में इंगित की गयी कमियो का विवरण ।	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव के पृष्ठ –2 पर रक्षित गैर वन भूमि का स्वामित्व किसका है ?	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के भाग–।। पर अंकित 2.846 हे0 गैर वन भूमि मे से 2.214 हे0 गैर वन भूमि उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 (रिहन्द) की है तथा 0.632 हे0 गैर वन भूमि संस्थान के स्वामित्व का है ।
2	प्रस्ताव के पृष्ठ –23 पर रक्षित मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य न होने कारण जबकि अलग–अलग अवधि मे दिया गया है ? स्पष्ट किया जाय ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत लीज प्रथम बार उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– 4887(2)/14–2–794/72 दिनांक– 02.09.1972 द्वारा संस्थान को दी गयी है जिस पर तत्समय ही ट्रान्समिशन लाईन का निर्माण कार्य किया गया है । प्रश्नगत वन भूमि पर वर्तमान मे कोई भी निर्माण कार्य नही किया जाना है इस कारण कोई भी मक का उत्सर्जन नही होगा फलस्वरूप मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य नही हैं।
3	प्रस्तावित परियेजना मे समतुल्य गैर वन भूमि लिये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र/वचनबद्धता संलग्न नही है । क्या समतुल्य गैर वन भूमि नही लिया जायेगा । कारण बताये ?	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–2/2017–एफ0सी0 दिनांक–28.03.2019द्वारा जारी गाइडलाइन्स के बिन्दु संख्या– 2.5 मे निम्न प्रकार उल्लिखित है :–

–2–

		Special provisions for A for certain categories of projects: (i) CA shall be raised and maintained at the cost of the user agency on degraded forest land twice in extent of the forest area diverted in the case of ; a- Laying of transmission lines; उपरोक्त उल्लिखित प्राविधानो के क्रम मे ही प्रभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की योजना तैयार कराते हुए वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–53 से 56 पर संलग्न किया गया है ।
4	विषयगत प्रकरण फ्रेस लीज जैसा व्यवहृत किया जाता है ?	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत लीज प्रथम बार उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– 4887(2)/14–2–794/72 दिनांक–02.09.1972 द्वारा (दिनांक–01.04.1972 से 31.03.1997 तक) 25 वर्षो हेतु संस्थान को दी गयी, तथा उक्त लीज को पुनः 25 वर्षो हेतु (दिनांक–01.04.1997 से 31.03.2022 तक) भारत सरकार के आदेश संख्या– 8बी/य04/2074/2000/एफ0सी0/726 दिनांक– 06.10.2000 द्वारा व इसके क्रम मे उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– 774/14–2–2000–749/72 दिनांक– 02.03.2001 द्वारा नवीनीकरण आदेश जारी किया गया । संस्थान द्वारा उक्त लीज की समाप्ति की तिथि दिनांक– 31.03.2022 से आगे की अवधि (दिनांक– 01.04.2022 से 31.03.2047 तक) 25 वर्षो के लिए पुनः लीज का नवीनीकरण प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप मे प्रस्तुत किया गया है ।
5	वन (संरक्षण) नियम 2022 के प्राविधानो के अनुसार प्रस्ताव की पूर्णतः की जॉच हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 3261/81–2–2022–600(60)/2000 दिनांक–*10.01.2023 द्वारा गठित समिति राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (पी.एस.सी.) से अनुमोदनोपरान्त उपलब्ध कराया जाय ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रस्ताव की जॉच प्रभाग द्वारा करने के उपरान्त उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी है । पी0एस0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है ।
6	प्रस्ताव के पृष्ठ –22 पर रक्षित प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित नही है ?	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 22 पर रक्षित प्रमाण पत्र संलग्न नही है बल्कि प्रस्तावित वन रूपरूप क्षेत्र प्रभावित न होने संबधित प्रमाण पत्र संलग्न है जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित है ।
7	प्रस्ताव मे परियोजना की श्रेणी पारेषण लाईन तो है, परन्तु किस सीमा तक लीनियर माना जाय ? स्पष्ट किया जाय ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–2/2017–एफ0सी0 दिनांक– 28.03.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के चैप्टर–।। के बिन्दु संख्या– 11.2 के अनुसार प्रश्नगत परियोजना लीनियर की श्रेणी मे आता है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र ज्ञा) 21/06/2023

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या– 1303/अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक–1448/रेनुकूट/15–26 दिनांक 12.06.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा) 21/06/2023
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।